


-:: आदेश ::-


अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा डिगरना, पटवार हल्का डिगरना, तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा संख्या 512 रकबा 0.6718 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा संख्या 496 रकबा 0.6070 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र सं	नाम खातेदारान मय वल्लिद्यत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगाव
1.	कैलाश पुत्र चन्द्राराम कौम गरुड़ा सा. गागड़ी खातेदार	512	0.3237	बा0दो0	1.05
2.	आदुराम पुत्र केसाराम 3156/9551 रहन एचडीएफसी शाखा जैतारण, छोटकी पुत्री सुखाराम 1066/9551, भूण्डाराम पुत्र सुखाराम 1066/9551, रामदेव पुत्र सुखाराम 1066/9551, शान्ति पुत्री सुखाराम 1066/9551, शोभा पुत्री सुखाराम 1066/9551, सोहनी पत्नी सुखाराम 1065/9551 कौम मेघवाल स देह खातेदार	496	0.6070	बा0दो0	1.96
		512/1	0.3481	बा0दो0	1.12
		कुल 2	0.9551		3.08

तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। बँटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।


सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 27/11/2025 को सर-इजलास सुनाया गया।


सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)